



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 94 राँची, बुधवार, 21 पौष, 1938 (श०)
11 जनवरी, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

2 जनवरी, 2017

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 15623.37 लाख (एक सौ छप्पन करोड़ तैईस लाख सैंतीस हजार) रु. की लागत पर स्वीकृत चास शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-5/न०वि०/शहरी जलापूर्ति (चास)-03/2016-18-- नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है । इस आलोक में चास हेतु जलापूर्ति योजना का सूत्रण किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 15623.37 लाख (एक सौ छप्पन करोड़ तैईस लाख सैंतीस हजार) रु. है, यह योजना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है । तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तत्पश्चात् अमृत योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उक्त योजना के दिशा-निदेश के आलोक में अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

2. वर्तमान में चास नगर निगम में लगभग 30000 घरों के विरुद्ध 9000 घरों में ही जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध है। सभी क्षेत्रों में समुचित वितरण व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण शेष घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।
3. वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था के तहत 24 MLD क्षमता के Water Treatment Plants अधिष्ठापित हैं। वर्ष 2034 तक Gross Demand 40.31 MLD हो जाएगी, अतः जल के मुख्य स्रोत दामोदर नदी में 20 MLD का एक नए Water Treatment Plants (WTP) का अधिष्ठापन किया जायेगा।
4. परियोजना में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2049 तक की योजना के अनुसार Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 1.75 ML क्षमता का चार तथा 2.0 ML के दो (कुल 6) ELSRs (जल मिनारों) का निर्माण किया जायेगा।
5. इस योजना अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24x7 जलापूर्ति व्यवस्था हेतु प्रावधान किया गया है।
6. अमृत योजना के दिशा-निर्देशिका की कंडिका-5 के उपकंडिका-5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख-रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय-सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है।
7. इस परियोजना हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए गिरिडीह जलापूर्ति योजना के Model Bid Document का उपयोग किया जायेगा, जो अमृत योजना अंतर्गत सभी जलापूर्ति योजनाओं के प्रयोजनार्थ है।
8. इस परियोजना के अवयव निम्नलिखित हैं :-

Components	Details
Source	Damodar River
Head Work	
Infiltration gallery	Length - 110 m, Screen pipe dia - 400 mm
Intake well cum pump house	Dia 14 m, Depth - 17 m
Approach bridge (RCC)	Length 90 m, 3.5 M width
Submerged Weir	Length - 148 m Top Width - 2.75 m
Pumping Machinery	
Raw Water	115 Hp (2W+1S), 16 Hrs Pumping, Head - 31 m
Clear Water	350 Hp (2W+1), 16 Hrs Pumping, Head - 95 m
WTP	Conventional WTP - 20 MLD

Components	Details
Transmission main	From WTP To ESR - Dia 900 mm to 350 mm, Total Length - 24.83 Km
ESR (6 Nos)	1.75 ML - 4 Nos and 2.0 ML - 2 Nos
Distribution System	100% coverage Total Length - 198.0 Km
SCADA	Up to ESR outlet
House connection & consumer Metering	100% coverage (30000 Connection)

9. परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित राशि का ब्योरा निम्नवत् है :-

Sl. No.	Details	Amount (Rs. in Lakh)
1	Head Work	
	Infiltration Gallery	820.63
	Jack Well & Pump House	264.80
	Approach Bridge	36.98
2	Weir	1021.81
3	Raw Water Pumping Main	204.78
4	Raw Water Pumping Machinery	242.69
5	Water Treatment Plant	628.80
6	Clear Water pumping machinery	184.18
7	Clear Water pumping main	2725.60
8	Elevated Service Reservoir	
	1.75ML- 4 Nos	625.08
	2.00ML- 2 Nos	336.34
9	Distribution	4849.41
10	Miscellaneous	
	Staff Quarter	59.85
	River Crossing	33.67
11	SCADA	401.00
	Total net Cost in Lakhs	12435.62
i)	Add Labor Cess @ 1%	124.36
ii)	Add 1.50% for DPR for 1.95% for PMC Services i.e. 3.45%	429.03
iii)	JUIDCO Charges (योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 4 नवम्बर, 2016 के अनुसार)	544.36
iv)	Operation and Maintenance of 5 Years	2090.00
	Grand Total Cost (Including O&M)	15623.37
Amount in word :- एक सौ छप्पन करोड़ तैंस लाख सैंतीस हजार रुपये।		

10. उपरोक्त तालिका के अनुसार परियोजना की लागत राशि (CAPEX) 13533.37 लाख (एक सौ पैंतीस करोड़ तैंतीस लाख सैंतीस हजार) रु. है एवं रख-रखाव की राशि (OPEX) 2090.00 लाख (बीस करोड़ नब्बे लाख) रु. है । अमृत योजना के दिशा-निर्देशिका की कंडिका-5 के उपकंडिका-

5.1 के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :-

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share	
				14th F.C.	Others
Chas Water Supply Scheme	13533.37	6766.68	4060.01	2165.34	541.34

11. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) का 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप में देय होगा। स्वीकृत किए गए SAAP के अनुसार निकाय अंश का 80% 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा।
12. उपर्युक्त परियोजना के रख-रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन राज्य योजना अंतर्गत 'पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद' से किया जायेगा। (मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष-191-नगर निगमों को सहायता, उप शीर्ष-01-पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान)
13. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना-सह-वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।
14. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
 - क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
 - ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
 - ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।

- घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।
15. उपरोक्त परियोजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड चास नगर निगम को उपलब्ध है।
16. क्रमांक-9 में अंकित DPR की कुल राशि 15623.37 लाख (एक सौ छप्पन करोड़ तैंईस लाख सैंतीस हजार) रु. की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है ।
17. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में मद संख्या 13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
